भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 877
07 फरवरी, 2023 को उत्तरार्थ

विषय:- कृषि में महिलाओं की भागीदारी

877. श्रीमती शारदा अनिल पटेल:
श्री मितेष पटेल (बकाभाई):

क्या कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा कृषि क्षेत्र में फसलों की बुआई और कटाई के लिए महिलाओं की भागीदारी को प्रोत्साहित करने हेतु क्या प्रयास किए जा रहे हैं;

(ख) गुजरात में महिलाओं को कृषि शिक्षा का विशेष लाभ किस प्रकार दिया जा रहा है ताकि उन्हें फसलों की बुआई और कटाई के लिए प्रशिक्षित किया जा सके; और

(ग) सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए किए गए प्रयासों का ब्यौरा क्या है कि किसी भी पुरुष या महिला को कृषि व्यवसाय नहीं छोड़ना पड़े?

उत्तर
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री नरेन्द्र सिंह तोमर)

(क) और (ख): सरकार योजना दिशानिर्देशों में विद्यमान पात्रता और शर्तों के अनुसार महिला किसानों सहित किसानों के लिए विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों को क्रियान्वित कर रही है।

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की विभिन्न लाभार्थी-उन्मुख योजनाओं के दिशानिर्देशों में प्रावधान है कि राज्यों और अन्य कार्यान्वयन एजेंसियों को महिला किसानों पर व्यय करना चाहिए। इन योजनाओं में विस्तार सुधारों के लिए राज्य विस्तार कार्यक्रम (एटीएमए), राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एनएफएसएम), राष्ट्रीय तिलहन और ऑयल पाम मिशन (एनएमओओपी), राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन (एनएमएसए), बीज और रोपण सामग्री उप-मिशन (एसएमएसपी), कृषि यंत्रीकरण उप-मिशन (एसएमएएम) और समेकित बागवानी विकास मिशन (एमआईडीएच) को सहायता शामिल हैं।

केंद्रीय क्षेत्र की योजना नामतः प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) को कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा देश भर में महिला किसानों सहित भूमिधारक किसान परिवारों को,

कुछ बहिष्करण मानदंडों के अध्यधीन, वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से क्रियान्वित किया जा रहा है।

ग्रामीण विकास मंत्रालय दीनदयाल अंत्योदय योजना- राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के एक उप-घटक नामतः महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना को क्रियान्वित कर रहा है, जिसका उद्देश्य महिलाओं की भागीदारी और उनकी कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिए व्यवस्थित निवेश करके उन्हें सशक्त बनाना है, और साथ ही ग्रामीण महिलाओं के लिए स्थायी आजीविका का सृजन करना भी है। यह परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों के रूप में राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के माध्यम से परियोजना मोड में कार्यान्वित मांग-आधारित कार्यक्रम है।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) ने गुजरात सहित देशभर में 731 कृषि विज्ञान केंद्रों (केवीके) की स्थापना की है, जिन्हें प्रौद्योगिकी मूल्यांकन तथा इसके प्रदर्शन और क्षमता विकास का उत्तरदायित्व सौंपा गया है। ये केवीके किसानों तथा खेतिहर महिलाओं, ग्रामीण युवाओं और विस्तार कर्मियों के लाभ के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करते हैं और विभिन्न विषयों पर महिला विशिष्ट गतिविधियों का आयोजन भी करते हैं। महिलाओं को कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में नवीनतम तकनीकों से परिचित कराने की दृष्टि से कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की योजनाओं के अंतर्गत महिलाओं को प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है।

(ग): कृषि को आकर्षक और अधिक लाभकारी बनाने की दृष्टि से, सरकार कई योजनाओं को क्रियान्वित कर रही है, जिनमें अन्य के साथ-साथ, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान), प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई); मृदा स्वास्थ्य कार्ड (एसएचसी) योजना; राष्ट्रीय कृषि बाजार योजना (ई-नाम); प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई); प्रधानमंत्री किसान मान-धन योजना (पीएमकेएमवाई); राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एनएफ़एसएम); किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी); प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (पीएम-आशा) और समेकित बागवानी विकास मिशन (एमआईडीएच) सम्मिलित हैं।

राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई); कृषि अवसंरचना कोष (एआईएफ), और कृषि विस्तार उप-मिशन (एसएमएई) के घटक एग्री-क्लीनिक्स और एग्री-बिजनेस केन्द्रों (एसीएंडएबीसी) की स्थापना से ग्रामीण युवाओं को लाभकारी स्वरोजगार के अवसरों में सहायता मिलती है। सरकार कृषि परिवारों के आय आधार में विविधता लाने की दृष्टि से, बागवानी, फूलों की खेती, मधुमक्खी पालन, मत्स्य पालन, कृषि-वानिकी, आदि पर ध्यान देते हुए एकीकृत खेती को भी बढ़ावा दे रही है।

****